DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

22 APRIL 2025

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Hindustan Times

दैनिक जागरण

जनसत्ता

UPSC(IAS/PCS) AND ALL COMPITETIVE EXAM

pib

THE HINDU

The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

ABHAY SIR

01 पोप फ्रांसिस का निधन

02 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 (Article 142)

03 अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर

04 नीति आयोग के सदस्य द्वारा जीएम फसलों का समर्थन

05 फिलिपींस को भेजा गया ब्रह्मोस का दूसरा बैच

06 भारत में ट्रेडमार्क प्राप्त भवनों में उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम शामिल

Result Mitra
पोप फ्रांसिस का निधन

पोप फ्रांसिस का निधन

- कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन, वेटिकन ने दी पुष्टि

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा:

- "पोप फ्रांसिस के निधन से गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं।"
- वेटिकन सिटी के अनुसार उन्होंने सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर अंतिम सांस ली।

Result Mitra

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

Result Mitra

- निधन का कारण :- अधिक आयु, लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

चिकित्सा स्थिति और इलाज :-

- पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही।
- उन्हें 14 फरवरी को इटली के रोम स्थित जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- वहां उनका इलाज निमोनिया, एनीमिया और फेफड़ों में संक्रमण के लिए किया गया।

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

Result Mitra

- इलाज के दौरान ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में किडनी फेलियर के लक्षण भी सामने आए थे।

ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान :-

- पोप फ्रांसिस को 2013 में पोप चुना गया था।
- असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था।

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

Result Mitra

- वे इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी और 1300 वष में पहले गैर-यूरोपीय पोप बने थे।
- उन्होंने चर्च को आधुनिक विचारों के करीब लाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए।

उनके प्रमुख फैसलों में शामिल हैं:

- समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च में स्वागत की वकालत
- समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की अनुमति
- तलाकशुदा और पुनर्विवाहित लोगों के लिए चर्च के दरवाज़े खोलना

- चर्च में हुए यौन शोषण पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनियाभर में शोक की लहर है।
- पोप फ्रांसिस की विचारशीलता, करुणा और वैश्विक भाईचारे का संदेश हमेशा याद रखा जाएगा।

पोप फ्रांसिस का निधन

Result Mitra

पादरी से पोप बनने का सफर

- 1958: 21 साल की उम्र में जेसुइट समुदाय में शामिल हुए
- 1969: ब्यूनस आयर्स में पादरी बने
- 1998: ब्यूनस आयर्स के आर्कबिशप बने
- 2001: पोप जॉन पॉल II ने उन्हें कार्डिनल बनाया
- 2013: रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप चुने गए

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

Result Mitra

- पादरी बनने से पहले ब्यूनस आयर्स में नाइट क्लब में बाउंसर रहे
- केमिकल लैब में काम किया
- अजटीना के कॉलेज में लिटरेचर और साइकोलॉजी भी पढ़ाया

पोप का पद – महत्वपूर्ण तथ्य:

1. परिभाषा:

- 'पोप' कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। उन्हें 'रोम के बिशप' भी कहा जाता है।

2. स्थान:

- वेटिकन सिटी (Rome, Italy) पोप का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है।

3. पद की अवधि:

- आमतौर पर पोप आजन्म पद पर रहते हैं, हालांकि कोई पोप इस्तीफा भी दे सकता है (जैसे पोप बेनेडिक्ट XVI ने किया था)।

4. चुनाव प्रक्रिया:

- पोप का चुनाव कार्डिनल्स की सभा (कॉन्क्लेव) द्वारा गुप्त मतदान से होता है।

5. भूमिका:

- धार्मिक नेता के रूप में मार्गदर्शन
- वैश्विक स्तर पर शांति, मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों की वकालत
- कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों की व्याख्या और सुधार

6. ऐतिहासिक महत्व:

- यह दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है (लगभग 2000 वर्ष पुरानी)
- पहले पोप माने जाते हैं – संत पेत्रुस (Saint Peter)

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

वेटिकन सिटी – एक परिचय:

1. स्थान:

- वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित एक स्वतंत्र देश है।

2. क्षेत्रफल:

- केवल 0.49 वर्ग किमी, यानी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश (क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से)।

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

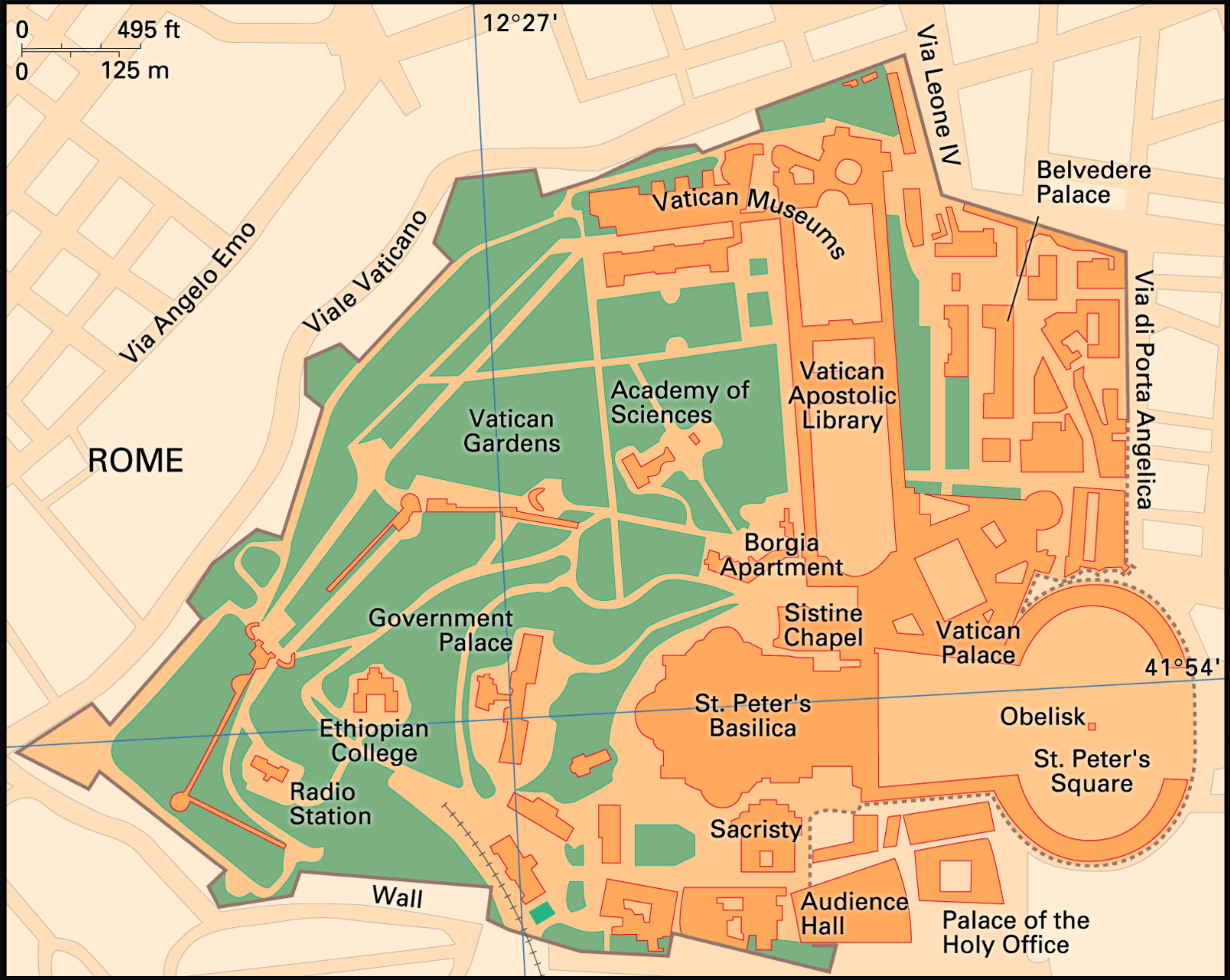

पोप फ्रांसिस का निधन

DAILY NEWS

Daily Current News

Result Mitra

3. जनसंख्या:

- लगभग 800 लोग, जिनमें से अधिकतर कैथोलिक चर्च से जुड़े धार्मिक अधिकारी, कर्मचारी और गार्ड होते हैं।

4. राजनीतिक व्यवस्था:

- यह एक थियोक्रेटिक मोनार्की (धार्मिक राजतंत्र) है, जहां पोप राष्ट्राध्यक्ष होते हैं।
- पोप के पास पूर्ण कार्यकारी, विधायी और न्यायिक अधिकार होते हैं।

5. स्थापना:

- वेटिकन सिटी की स्थापना 1929 में 'लेट्रन संधि' (Lateran Treaty) के अंतर्गत इटली और कैथोलिक चर्च के बीच हुई थी।

प्रमुख स्थल:

1. सेंट पीटर्स बेसिलिका (St. Peter's Basilica):

- दुनिया के सबसे भव्य चच में से एक, जहां संत पीटर की समाधि मानी जाती है।

2. सिस्टीन चैपल (Sistine Chapel):

- माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित प्रसिद्ध छत और "The Last Judgment"
- यहीं पोप के चुनाव की प्रक्रिया (कॉन्क्लेव) होती है।

3. वेटिकन म्यूज़ियम्स:

- कला, इतिहास और धार्मिक धरोहरों का अद्भुत संग्रह।

4. एपोस्टोलिक पैलेस:

- पोप का आधिकारिक निवास।

अन्य रोचक तथ्य:

- वेटिकन का अपना डाक तंत्र, रेडियो स्टेशन, पासपोर्ट, और करेंसी (Euro) है, लेकिन वह यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है।
- सुरक्षा के लिए स्विस गार्ड तैनात होते हैं, जो रंगीन यूनिफॉर्म में दिखते हैं और सिर्फ पोप की सुरक्षा के लिए नियुक्त होते हैं।
- यहाँ कोई जन्मस्थान नहीं है – नागरिकता सिर्फ सेवा के आधार पर दी जाती है और सेवा समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है।

पोप फ्रांसिस का निधन

Daily Current News

Result Mitra

पोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. पोप कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक प्रमुख होता है।
- 2. पोप वेटिकन सिटी का प्रमुख (हेड ऑफ स्टेट) भी होता है।
- 3. पोप को केवल फ्रांस की संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A) केवल 1
- B) 1 और 2
- C) 2 और 3
- D) 1, 2 और 3

Result Mitra
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 (Article 142)

आर्टिकल 142, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ – एक विस्तृत विवेचना

प्रस्तावना: संविधान और शक्तियों का संतुलन

- भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्ति-विभाजन किया गया है।
- इन तीनों संस्थाओं की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हैं और सभी संविधान के अधीन हैं, न कि एक-दूसरे से ऊपर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश – मामला क्या था?

मूल घटना:

- वर्ष 2020 से 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने 12 विधेयक पारित किए थे।
- इन्हें राज्यपाल आर. एन. रवि को मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की – न मंजूरी, न अस्वीकृति, न ही राष्ट्रपति के पास भेजा।
- अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

- इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक लौटा दिए और 2 राष्ट्रपति को भेज दिए।
- सरकार ने दोबारा इन 10 विधेयकों को पारित कर भेजा, जिन्हें फिर से राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (8 अप्रैल 2025):

- कोर्ट ने कहा, राज्यपाल का यह व्यवहार संविधान के खिलाफ है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

- जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा: "राज्यपाल संविधान से चलें, न कि राजनीतिक इच्छाओं से।"
- 10 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही पारित मान लिया गया – यह भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार हुआ।

साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि:

- राज्यपाल को एक महीने में फैसला लेना होगा।
- अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो उन्हें तीन महीने में निर्णय देना होगा।

- इससे अधिक समय लेने पर कारण बताना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 142 पर उपराष्ट्रपति का बयान – विवाद क्यों?

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (17 अप्रैल 2025):

- "अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। कोर्ट खुद को 'सुपर पार्लियामेंट' समझ रही है। अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं।"

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

- डीएमके सांसद तिरुचि शिवा: "संविधान सर्वोच्च है, सभी संस्थाएँ इसकी मर्यादा में बंधी हैं।"
- कपिल सिब्बल (वरिष्ठ वकील): "आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार देता है। राष्ट्रपति महज प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करते हैं।"

आर्टिकल 142 क्या है?

संविधान का उद्देश्य:

- अनुच्छेद 142(1): सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' कर सके, भले ही मौजूदा कानूनों में वह प्रावधान न हो।

डॉ. अंबेडकर का कथन:

- "यह एक सेफ्टी वॉल्व है – जब सामान्य कानून पर्याप्त न हो, तब भी न्याय सुनिश्चित किया जा सके।"

विशेषताएँ:

- कानून की सीमाओं से परे जाकर भी न्याय सुनिश्चित करना।
- सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय की शक्ति देना।

क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं? क्या कोर्ट उन्हें आदेश दे सकती है?

- भारत में सर्वोच्चता संविधान की है, न कि राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट की व्यक्तिगत रूप से।
- राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर कार्य करते हैं, उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, पूर्ण न्याय के लिए राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है, परंतु वह राष्ट्रपति की जगह खुद निर्णय नहीं ले सकती।

क्या आर्टिकल 142 के फैसले बदले जा सकते हैं?

- हाँ, लेकिन केवल इन तीन तरीकों से:

- **1. पुनर्विचार याचिका (Review Petition)** – सुप्रीम कोर्ट में ही पुन विचार के लिए।
- **2. बड़ी बेंच** – जब पहले के निर्णयों में विरोधाभास हो।
- **3. संविधान पीठ (Constitution Bench)** – जब किसी मामले में संविधान की गहराई से व्याख्या की आवश्यकता हो।

क्या सरकार आर्टिकल 142 को हटा सकती है?

- नहीं।

- अनुच्छेद 142 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
- इसे हटाने की कोशिश अनुच्छेद 368 के तहत असंवैधानिक ठहराई जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी संशोधन को अवैध घोषित कर सकती है।

अनुच्छेद 142 – सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की शक्ति (Complete Justice Power)

क्या है ये शक्ति?

- अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" (complete justice) करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या डिक्री पारित कर सकता है।

मुख्य बिंदु:

- ये शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास नहीं।
- इसका उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानूनी खामी या तकनीकी बाधा होने पर भी न्याय कर सके।
- यह शक्ति संविधान, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, और कार्यपालिका के नियमों से भी ऊपर मानी जाती है – लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति की शक्ति (President's Power)

राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ:

1. धारा 72 – क्षमा करने की शक्ति (Pardoning Power):

- राष्ट्रपति किसी को मृत्यु दंड सहित किसी भी सजा को माफ कर सकता है।

2. विधायी शक्ति (Legislative Powers):

- संसद के सत्र बुलाना, स्थगित करना, और भंग करना।
- अध्यादेश (Ordinance) जारी करना जब संसद का सत्र न चल रहा हो (अनुच्छेद 123)।

3. न्यायिक नियुक्तियाँ:

- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना।

4. कार्यपालिका शक्ति (Executive Powers):

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना।
- मंत्रिपरिषद की सलाह से शासन चलाना।

- सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति: शक्ति की तुलना

पक्ष	सुप्रीम कोर्ट	राष्ट्रपति
शक्ति का प्रकार	न्यायिक (Judicial)	कार्यपालिका/ प्रशासनिक (Executive)
अनुच्छेद	142	52, 72, 123 आदि
नियंत्रण	संविधान द्वारा, और कभी-कभी राष्ट्रपति की सलाह से	मंत्रिपरिषद की सलाह से
विशेष शक्ति	पूर्ण न्याय करने की शक्ति	क्षमा, अध्यादेश, नियुक्ति, आदि

अनुच्छेद 142 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. यह अनुच्छेद केवल भारत के राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
- 2. यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
- 3. अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया गया आदेश केवल नागरिक मामलों में ही लागू होता है।

कौन-से कथन सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2
- C) केवल 2 और 3
- D) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण:

- अनुच्छेद 142 राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है।
- यह सुप्रीम कोर्ट को "complete justice" करने हेतु कोई भी आदेश, डिक्री या निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
- यह शक्ति नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में लागू हो सकती है।

Result Mitra
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर

Daily Current News

Result Mitra

- जेडी वेंस सोमवार सुबह 10 बजे परिवार के साथ 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे।
- वेंस का प्लेन सुबह 9:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा।
- यहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया।
- उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर

Daily Current News

- पीएम मोदी की मुलाकात के बाद परिवार समेत जयपुर पहुंच गए हैं।
- प्रधानमंत्री ने बच्चों को मोर का पंख गिफ्ट में दिया।
- पीएम ने वेंस और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।
- इस बैठक में बाइलेट्रल ट्रेड डील, ऊर्जा, रक्षा और स्ट्रेटिजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई।

- वेंस परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। वे वहां करीब 1 घंटे रुके।

भारत-अमेरिका संबंध (India-US Relations)

परिचय:

- भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग होता है – जैसे रक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य। 21वीं सदी में ये संबंध और भी मजबूत हुए हैं।

भारत-अमेरिका के बीच सहयोग के क्षेत्र

1. रक्षा (Defence):

- दोनों देश मिलकर सैनिक अभ्यास करते हैं – जैसे मालाबार एक्सरसाइज।
- भारत ने अमेरिका से कई आधुनिक हथियार खरीदे हैं।

दोनों देशों ने कई समझौते किए हैं –

- LEMOA (सैनिकों को ईंधन और सुविधा देने के लिए)
- COMCASA (संचार उपकरण साझा करने के लिए)
- BECA (भौगोलिक जानकारी साझा करने के लिए)

2. व्यापार और निवेश (Trade & Investment):

- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत अमेरिका को कपड़े, दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर सेवाएँ भेजता है।
- अमेरिका से भारत में भारी निवेश आता है – खासकर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में।

3. शिक्षा और प्रवासी भारतीय:

- लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई करते हैं।
- अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. जलवायु और ऊर्जा सहयोग:

- दोनों देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित तकनीक पर साझेदारी की जा रही है।

भारत-अमेरिका के बीच विवाद (Conflicts/Issues)

1. व्यापार विवाद:

- अमेरिका ने भारत को GSP (Generalized System of Preferences) से बाहर कर दिया।
- भारत ने भी अमेरिका से आने वाले कुछ सामान पर टैक्स बढ़ा दिया।

2. रूस के साथ भारत के रिश्ते:

- भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदी, जिस पर अमेरिका नाराज़ हुआ।
- अमेरिका ने CAATSA नाम का कानून बनाया है, जिससे रूस से हथियार खरीदने वालों पर प्रतिबंध लग सकता है।

3. मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी:

- अमेरिका कभी-कभी भारत में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर टिप्पणी करता है।
- भारत इसे अपने अंदरूनी मामले में दखल मानता है।

4. वीजा नीति और H-1B वीजा:

- अमेरिका की वीजा नीति सख्त होने से भारतीय पेशेवरों को दिक्कत होती है।
- H-1B वीजा पर अमेरिका में कई बार पाबंदी लगाई जाती है।

5. यूक्रेन-रूस युद्ध पर मतभेद:

- अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत तटस्थ (Neutral) बना हुआ है क्योंकि रूस भारत का पुराना दोस्त है।

हाल की घटनाएँ (2023-24):

- पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा – कई समझौते हुए, जैसे टेक्नोलॉजी, रक्षा, चंद्रमा मिशन में सहयोग।
- iCET (Initiative on Critical and Emerging Technologies): 5G, AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग में साथ काम करने का फैसला।
- भारत-अमेरिका मिलकर रक्षा उपकरण बनाएंगे – जैसे फाइटर जेट के इंजन।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध (India-USA Trade Relations)

1. व्यापार का आकार (Trade Volume):

- 2023 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार लगभग 190 अरब डॉलर का रहा।
- अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (Largest Trading Partner) बन गया है।

2. भारत क्या भेजता है अमेरिका को? (India's Exports to USA)

- भारत अमेरिका को मुख्य रूप से ये सामान भेजता है:

क्षेत्र	सामान
टेक्सटाइल	कपड़े, गारमेंट्स
फार्मा	दवाइयाँ और मेडिकल उत्पाद
जेम्स एंड ज्वेलरी	हीरे, सोने-चांदी के गहने
आईटी सेवाएँ	सॉफ्टवेयर, बीपीओ सेवाएं
मशीनरी	इंडस्ट्रियल मशीनें
कृषि	चाय, कॉफी, मसाले

- भारत की सबसे बड़ी कमाई अमेरिका को IT सेवाएं और फार्मा उत्पाद बेचकर होती है।

3. अमेरिका क्या भेजता है भारत को? (USA's Exports to India)

- अमेरिका से भारत मुख्य रूप से ये चीज़ें मंगाता है:

क्षेत्र	सामान
रक्षा उपकरण	हेलिकॉप्टर, मिसाइल, रडार
विमान	बोइंग जैसे एयरक्राफ्ट
कच्चा तेल (Crude Oil)	ऊर्जा के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स	चिप्स, कंप्यूटर पार्ट्स
कृषि उत्पाद	सोया, बादाम
मशीनरी	हाई-टेक मशीनें

- भारत ने हाल के वष में अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा सामान की खरीद बढ़ाई है।

4. निवेश (Investment):

- अमेरिका भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक (FDI) है।
- भारत में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, बैंकिंग, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों का भारी निवेश है (जैसे: Google, Amazon, Apple, Microsoft)।
- वहीं, भारतीय कंपनियाँ भी अमेरिका में निवेश करती हैं (जैसे: TCS, Infosys, Mahindra, Tata Motors)।

- 5. व्यापार से जुड़ी चुनौतियाँ (Trade Disputes):

मुद्दा	विवरण
GSP (2019)	अमेरिका ने भारत को GSP (ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट स्कीम) से हटा दिया।
टैरिफ विवाद	भारत और अमेरिका ने एक-दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए थे।
डिजिटल टैक्स	भारत ने डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिससे अमेरिका नाराज़ हुआ।
वीज़ा नीति	H1-B वीज़ा पर अमेरिका की सख्ती, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ।

6. समाधान और सहयोग:

- व्यापार वार्ताएं चलती रहती हैं – WTO और द्विपक्षीय स्तर पर।
- 2023 में दोनों देशों ने iCET और US-India Trade Policy Forum जैसे मंचों पर कई मुद्दों पर सहमति जताई।
- नए समझौते हो रहे हैं: टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, रक्षा उत्पादन में।

भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. भारत और अमेरिका के बीच COMCASA, LEMOA, और BECA जैसे रक्षा समझौते हुए हैं।
- 2. अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात बाजार (textile export market) है।
- 3. भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता की स्थापना 2020 में हुई थी।

कौन-से कथन सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 1
- C) केवल 2 और 3
- D) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण:

- भारत ने अमेरिका के साथ 4 प्रमुख रक्षा समझौते में से 3 पर हस्ताक्षर किए हैं:
- LEMOA (2016)
- COMCASA (2018)
- BECA (2020)
- अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन वस्त्र निर्यात के मामले में यूरोप और अन्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हैं।
- 2+2 वार्ता की शुरुआत 2018 में हुई थी, न कि 2020 में।

Result Mitra
नीति आयोग के सदस्य द्वारा जीएम फसलों का समर्थन

जीएम फसलें: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

- हाल ही में नीति आयोग के एक सदस्य ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जीएम (Genetically Modified) फसलों को अपनाने की वकालत की है।

जीएम फसल क्या होती है?

- जीएम फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें वैज्ञानिकों द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किसी अन्य जीव का डीएनए अनुक्रम डाला जाता है।

- जीएम (Genetically Modified) फसलें वे फसलें होती हैं जिनके बीजों के डीएनए (genes) को वैज्ञानिक तरीके से बदला जाता है।

- इस बदलाव का मकसद होता है कि फसल में कोई नया गुण जोड़ दिया जाए, जैसे:
- कीड़े न लगें,
- कम पानी में भी उगे,
- ज्यादा उपज दे,
- किसी बीमारी या मौसम की मार को सह सके।

कैसे बनती हैं जीएम फसलें?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम की तकनीक से किसी दूसरे जीव (जैसे बैक्टीरिया या दूसरी फसल) का एक खास जीन निकालकर उस फसल में डाल दिया जाता है।

उदाहरण:

बीटी कपास (Bt Cotton):

- इसमें Bacillus thuringiensis नामक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। यह जीन कपास को ऐसे कीड़ों से बचाता है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।

जीएम फसलों के फायदे

1. उच्च उत्पादन:

- जीएम फसलें ज्यादा उपज देती हैं क्योंकि उन्हें कीड़े या बीमारियाँ कम लगती हैं।

2. कम कीटनाशक की जरूरत:

- चूंकि ये खुद ही कीट प्रतिरोधी होती हैं, इसलिए खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ कम छिड़कनी पड़ती हैं।

3. कम खर्च:

- किसानों को दवाइयों और सिंचाई पर कम खर्च करना पड़ता है।

4. मौसम सहनशीलता:

- सूखा, ज्यादा बारिश या गर्मी जैसी स्थितियों में भी फसल उग सकती है।

जीएम फसलों के नुकसान या चिंताएं

1. स्वास्थ्य संबंधी सवाल:

- कुछ लोगों को डर है कि जीएम फसलें खाने से सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है।

2. जैव विविधता का खतरा:

- अगर एक ही तरह की जीएम फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाए तो बाकी परंपरागत किस्में खत्म हो सकती हैं।

3. बीज पर निर्भरता:

- जीएम बीज आम तौर पर बड़ी कंपनियों के होते हैं, जिन्हें हर साल किसानों को खरीदना पड़ता है।

क्या जीएम फसलें ज़रूरी हैं?

- भारत को खाद्य तेलों, दालों और दूसरी फसलों में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। जीएम तकनीक से ऐसी फसलें बनाई जा सकती हैं जो:

- कम समय में तैयार हो,
- ज्यादा उत्पादन दें,
- और आयात की जरूरत कम करें।

भारत में जीएम फसलों की स्थिति

- वर्तमान में बीटी कपास भारत की एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है।
- वर्ष 2022 में सरकार ने जीएम सरसों (DMH-11) के परीक्षण को कुछ शत के साथ अनुमति दी थी।
- हालांकि, जीएम सरसों की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है ताकि जीएम फसलों को लेकर स्पष्ट दिशा तय की जा सके।

खाद्य तेलों के लिए जीएम फसलें क्यों ज़रूरी हैं?

1. उच्च मांग, कम उत्पादन:

- भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष है, लेकिन घरेलू उत्पादन इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा।

2. आयात पर निर्भरता:

- भारत में 55-60% खाद्य तेल आयात के जरिए आता है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर खतरा मंडराता है।

3. बढ़ती जनसंख्या:

- शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के चलते भविष्य में खाद्य तेलों की मांग और बढ़ेगी।

4. इतिहास से सीख:

- 1990 के दशक की पीली क्रांति के समय भारत ने अस्थायी आत्मनिर्भरता पाई थी, लेकिन वह स्थिति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई।

सरकार के प्रयास

- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (NMEO-Oilseeds):
- इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादन करना है।
- इसके तहत जीनोम एडिटिंग और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को अपनाने की योजना है।

भारत में GM फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर Vis विचार करें:

- 1. Bt कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक रूप से स्वीकृत पहली और एकमात्र GM फसल है।
- 2. GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee) भारत में GM फसलों की पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है।
- 3. भारत में GM सरसों (GM Mustard) को व्यावसायिक खेती के लिए पूरी तरह मंजूरी मिल चुकी है। और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है।

कूट:

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1
- D) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- Bt Cotton, 2002 में भारत में व्यावसायिक रूप से अपनाई गई पहली और एकमात्र GM फसल है (अब तक)।
- GEAC, MoEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के अधीन कार्य करता है और पर्यावरणीय अनुमति देता है।
- GM Mustard को GEAC से अनुमति मिली है, लेकिन व्यावसायिक उत्पादन अब तक व्यापक स्तर पर शुरू नहीं हुआ है (2024 तक सीमित परीक्षण / विवाद जारी हैं)।

Result Mitra
BRAHMOS
BRAHMOS
BRAHMOS
फिलिपींस को भेजा गया ब्रह्मोस का दूसरा बैच

ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली: भारत की घातक और तेज़ हथियार शक्ति

क्या है ब्रह्मोस मिसाइल?

- ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम दो नदियों से लिया गया है — भारत की "ब्रह्मपुत्र" और रूस की "मॉस्कवा"।
- यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर बेहद तेजी से, सटीक और शक्तिशाली हमला करने में सक्षम है।

मुख्य विशेषताएं

1. सुपरसोनिक गति:

- ब्रह्मोस मिसाइल की गति 2.8 से 3 मैक (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) तक होती है, जिससे दुश्मन के पास बचाव का समय नहीं होता।

2. "फायर एंड फॉरगेट" तकनीक:

- एक बार लक्ष्य पर लॉक हो जाने के बाद मिसाइल खुद ही मार्गदर्शन करती है, और इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती।

3. बहु-प्लेटफार्म लॉन्चिंग क्षमता:

- इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है।

4. उच्च सटीकता:

- इसका पिन-पॉइंट एक्यूरेसी यानी बिल्कुल लक्ष्य पर सीधा वार करने की क्षमता इसे दुश्मन के लिए अत्यधिक खतरनाक बनाती है।
- ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता (Range) समय के साथ बढ़ाई गई है।

1. शुरुआती रेंज:

- जब ब्रह्मोस को पहली बार विकसित किया गया था, तब इसकी अधिकतम मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी।
- इसकी वजह यह थी कि उस समय भारत MTCR (Missile Technology Control Regime) का सदस्य नहीं था।

2. MTCR में शामिल होने के बाद:

- भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना।
- इसके बाद ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई।

3. नई उन्नत रेंज:

- अब भारत ने ब्रह्मोस को और उन्नत कर लिया है और 800 किलोमीटर तक मार करने वाले वर्ज़न का भी सफल परीक्षण किया है।

4. भविष्य की योजना:

- DRDO भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 1000 किलोमीटर या उससे अधिक तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

फिलिपींस को भेजा गया ब्रह्मोस का दूसरा बैच

संस्करण (Version)	रेंज (Range)
प्रारंभिक संस्करण	लगभग 290 किमी
उन्नत संस्करण (MTCR के बाद)	400800 किमी
भविष्य की योजना	1000+ किमी (विकासाधीन)

तकनीकी संरचना (दो चरणों वाली प्रणाली):

पहला चरण (ठोस ईंधन बूस्टर):

- यह प्रारंभिक रफ्तार देने का काम करता है जिससे मिसाइल तेज़ी से उड़ान भरती है।

दूसरा चरण (लिक्विड रैमजेट इंजन):

- यह उसे उच्च गति पर बनाए रखता है और मिसाइल को 3 मैक तक की रफ्तार दिलाता है।

रेंज (दूरी):

- शुरू में इसकी मारक क्षमता 290 किमी थी।
- भारत ने MTCR (Missile Technology Control Regime) का सदस्य बनने के बाद इसकी रेंज को 400-800 किमी तक बढ़ा लिया है। भविष्य में इसे 1000+ किमी तक भी ले जाने की योजना है।

ब्रह्मोस मिसाइल के प्रकार

1. ब्रह्मोस-ए (एयर लॉन्च):

- इसे Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है।

2. ब्रह्मोस-एनजी (नेक्स्ट जेनरेशन):

- यह हल्की, तेज और कम जगह में फिट होने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे ड्रोन और छोटे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकेगा।

3. ब्रह्मोस ब्लॉक-I, II, III:

- ये अलग-अलग ज़रूरतों और जमीनी लक्ष्य के अनुसार विकसित वर्ज़न हैं।

हाल की घटनाएं

2024-25:

- भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप फिलीपींस को सौंपी है। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए बड़ा कदम है।
- फिलीपींस ने भारत से तटीय रक्षा के लिए ब्रह्मोस प्रणाली खरीदी है, जिससे भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है।

भारत के लिए ब्रह्मोस क्यों महत्वपूर्ण है?

1. रक्षा आत्मनिर्भरता (Make in India):

- ब्रह्मोस DRDO (भारत) और NPO Mashinostroyenia (रूस) के बीच तकनीकी साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है।

2. रणनीतिक बढ़त:

- इसकी स्पीड और एक्यूरेसी भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले में बढ़त देती है।

3. निर्यात की शुरुआत:

- फिलीपींस को हुआ सौदा भारत के रक्षा क्षेत्र को वैश्विक बाजार में ले जाता है।

ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का परिणाम है।
- 2. यह सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो पनडुब्बी, जहाज, विमान और भूमि से प्रक्षेपित की जा सकती है।
- 3. ब्रह्मोस मिसाइल केवल पारंपरिक (non-nuclear) हथियार ले जाने में सक्षम है।

कूट:

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत के DRDO और रूस के NPOM का संयुक्त उद्यम है।
- यह एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसकी गति लगभग Mach 2.8-3 है।
- यह मिसाइल परंपरागत और सीमित रूप से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती है, लेकिन भारत में इसे पारंपरिक भूमिका में ही उपयोग किया गया है।

Result Mitra
भारत में ट्रेडमार्क प्राप्त भवनों में उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम शामिल

भारत में ट्रेडमार्क प्राप्त भवनों में उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम शामिल

Daily Current News

Result Mitra

मुख्य तथ्य:

- उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद, तेलंगाना) का आर्ट्स कॉलेज भवन अब भारत का तीसरा ऐसा भवन बन गया है जिसे उसके बाहरी डिज़ाइन के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है।

इससे पहले दो भवनों को यह मान्यता मिल चुकी है:

- 1. ताज महल पैलेस होटल (मुंबई)

- 2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) भवन

ट्रेडमार्क प्राप्त करने के लाभ:

- 1. विश्वविद्यालय को अपने भवन की छवि का वाणिज्यिक उपयोग करने का विशेष अधिकार मिल गया है (जैसे – पोस्टर, स्मृति-चिन्ह आदि पर इसका इस्तेमाल)।
- 2. यह किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भवन के डिजाइन की नकल करने से रोकता है।

- 3. इससे भवन की विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहती है, जो उसकी स्थापत्य विरासत को संरक्षण देती है।

आर्ट्स कॉलेज भवन की स्थापत्य विशेषताएँ:

- यह ऐतिहासिक भवन दिसंबर 1939 में निर्मित हुआ था।

- इसकी शैली को उस्मान शाही स्थापत्य कला कहा जाता है, जो कई स्थापत्य परंपराओं का मिश्रण है:

- कुतुब शाही और मुगल शैली
- काकतीय मंदिरों और
- अजंता-एलोरा की गुफाओं से प्रेरित नक्काशी और वास्तु

- एक खास बात यह है कि इस भवन में गुंबद नहीं है, जबकि निज़ाम के दौर की ज़्यादातर इमारतों में गुंबद आम बात थी।

भारत में ट्रेडमार्क प्राप्त भवनों की सूची:

1. ताज महल पैलेस होटल, मुंबई

- भारत का पहला ट्रेडमार्क प्राप्त भवन
- वर्ष: 2017
- संचालक: इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (Taj Group)

2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) भवन, मुंबई

- भारत का दूसरा ट्रेडमार्क प्राप्त भवन
- भारत के आर्थिक प्रतीकों में से एक

3. उस्मानिया विश्वविद्यालय – आर्ट्स कॉलेज भवन, हैदराबाद (तेलंगाना)

- भारत का तीसरा भवन जिसे ट्रेडमार्क मिला
- वर्ष: 2024
- स्थापत्य शैली: उस्मान शाही शैली (कुतुब शाही + मुगल + काकतीय + अजंता-एलोरा प्रभाव)
- विशेषता: गुंबद रहित डिजाइन, जो निज़ाम काल की इमारतों से भिन्न है

भारत में ट्रेडमार्क प्राप्त भवनों में उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम शामिल

DAILY NEWS **Daily Current News**

Result Mitra

भारत में इमारतों को ट्रेडमार्क देने के संबंध में निम्नलिखित (Abha कथनों पर विचार करें:

- 1. ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत केवल वस्तुओं को ही ट्रेडमार्क मिल सकता है, भवनों को नहीं।
- 2. एक ट्रेडमार्क प्राप्त भवन के डिजाइन, नाम और छवि का व्यवसायिक उपयोग बिना अनुमति के अवैध माना जाता है।
- 3. ट्रेडमार्क केवल निजी संस्थाओं को ही मिल सकता है, सरकारी इमारतें ट्रेडमार्क प्राप्त नहीं कर सकतीं।

कूट:

- A) केवल 2
- B) केवल 1 और 3
- C) 1, 2 और 3
- D) केवल 2 और 3

व्याख्या:

- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत कोई भी "distinctive" चिन्ह (logo, design, sound, shape आदि) ट्रेडमार्क हो सकता है इसमें भवन भी शामिल हो सकते हैं।
- ट्रेडमार्क प्राप्त भवन की छवि, नाम या डिज़ाइन का कमर्शियल उपयोग बिना अनुमति के कानूनी उल्लंघन है।
- सरकारी या निजी दोनों प्रकार की इमारतें ट्रेडमार्क ले सकती हैं, अगर पात्रता हो ।

Result Mitra